डीजे बंद कराने को लेकर विवाद में फायरिंग, 2 युवकों को गोली लगी

नवभारत न्यूज
मुरैना, 29 जून। जौरा थाना क्षेत्र के उरहेरा गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई फायरिंग

जौरा क्षेत्र के उरहेरा गांव में शादी समारोह के दौरान हुई घटना

में गोली लगने से दो युवक जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार दिमनी क्षेत्र के ग्राम भटारी निवासी निक्की

जाटव 18 पुत्र रामधन जाटव की बानमोर में रहने वाली बुआ मंजू जाटव के बेटे योगेश जाटव की 28 जून को बारात जौरा क्षेत्र के ग्राम उरहेरा में रामअवतार जाटव के घर पहुंची थी। शादी समारोह में रात को डीजे पर बाराती डांस कर रहे थे। इसी दौरान डीजे बंद कराने को लेकर बाराती और गांव के युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही करीब दर्जनभर लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। इसी दौरान समारोह में मौजूद हलवाई का काम करने वाले वीरबल जाटव 33 पुत्र श्रीलाल जाटव निवासी गंगापुर भटारी सहित एक अन्य गोली लगने से जख्मी हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

रिठौराखुर्द में अवैध रूप से भंडारित 350 ट्रॉली रेत नष्ट कराया

नवभारत न्यूज
मुरैना, 29 जून। सरायछौला क्षेत्र के ग्राम रिठौराखुर्द में अवैध रूप से भंडारित किए गए 350 ट्रॉली चंबल नदी के रेत को संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नष्ट करा दिया। जानकारी के अनुसार सरायछौला, सिविल लाईन, पुलिस लाईन के फोर्स के साथ वनविभाग की टीम सोमवार को रिठौराखुर्द गांव पहुंचीं। टीम को यहां तकरीबन 350 ट्रॉली चंबल नदी का रेत भंडारित मिला। जिसे टीम ने लोडर के जरिए मिट्टी में मिलाकर नष्ट करा दिया। कार्रवाई में निरीक्षक उदयभान सिंह यादव, एसआई केके सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और वनविभाग के अधिकारी, कर्मचारी शामिल थे।

वाहन चोर हरेन्द्र गुर्जर पकड़ा, चुराई गईं 7 मोटरसाईकिलें जब्त

नवभारत न्यूज
मुरैना, 29 जून। सिटी कोतवाली पुलिस ने शातिर वाहन चोर हरेन्द्र उर्फ हरिओम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 7 मोटरसाईकिलें बरामद की गईं है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने

सिटी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अपराध क्रं. 269/26 में नामजद आरोपी हरेन्द्र उर्फ हरिओम गुर्जर पुत्र वीरेन्द्र गुर्जर नि. पंछीपुरा थाना कौलारी सैंपऊं जिला धौलपुर राजस्थान को मुरैना शहर में राधिका पैलेस रोड से गिरफ्तार किया।

सख्ती से पूछताछ करने पर

उसने मुरैना शहर में अलग-अलग जगहों से मोटरसाईकिल चोरी किया जाना कुबूल किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चुराई गईं 07 मोटरसाईकिलें बरामद कर लीं है। कार्रवाई में निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया, एसआई पवन भदौरिया, एसआई अरुण सिंह, एएसआई किशन सिंह, प्र.आर. जगदीश, रामकिशन, आर. अर्जुन जाट, कुलदीप जाट, अशोक, सूरज राठौड़, श्यामबिहारी शामिल थे।

जौरा में सूने घर से नकदी समेत जेवरात समेटकर ले गए चोर

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 29 जून। कस्बा जौरा की पगारा रोड पर स्थित एक घर से रविवार-सोमवार की रात को अज्ञात बदमाश 75 हजार

भात कार्यक्रम में शामिल होने गया था पूरा परिवार, रविवार की रात हुई घटना

नकदी समेत सोना, चांदी के जेवरात समेटकर ले गए। घटना के वक्त घर सूना था, परिवार के सभी सदस्य भात कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। सोमवार की सुबह घर

पहुंचनें पर उन्हें घटना का पता चला।

जानकारी के अनुसार पगारा रोड पर रहने वाले बालेन्द्र प्रजापति 28 जून को परिवारीजनों को साथ लेकर मुरैना में रहने वाली अपनी बहन के यहां शादी समारोह में भात लेकर गए थे। सूने घर पर ताला लगा हुआ था। सोमवार की सुबह जब परिवार के सदस्य घर पहुंचें तो मेनगेट पर लगा ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर कमरों में सामान बिखरा था। बदमाश घर में रखी अलमारी से मंगलसूत्र, पेंडल, सोने की दो अंगूठियां, दो नथ, दो टॉप्स, करीब 250 ग्राम चांदी की पायल, 250 ग्राम चांदी की करधनी सहित 75 हजार रुपये नकदी गायब मिले। चोरी हुए माल की कीमत लाखों रूपये 9बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस द्वारा घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

सहकारिता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

नवभारत न्यूज
मुरैना, 29 जून। सहकारिता मंत्रालय के गठन के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारी सप्ताह 29 जून से 05

किसानों को योजना, सेवाओं के लिए किया जाएगा जागरुक

जुलाई का शुभारंभ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मुरैना द्वारा किया गया।

शुभारंभ अवसर पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहकारिता की भावना को मजबूत

बनाने का संकल्प लिया और सहकारिता की शपथ ग्रहण कर सहकारी गीत का गायन किया।

जिला कलेक्टोरेट परिसर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश भार्गव एवं अपर कलेक्टर अश्विनी रावत ने सहकारिता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न गांवों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पहुंचकर किसानों एवं आमजन को सहकारी योजनाओं की जानकारी देगा। अभियान के दौरान किसानों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की बैंकिंग सुविधाओं जैसे शून्य बैलेंस खाता, एफडी, आरडी, ऋण सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम एवं डिजिटल भुगतान सेवाओं के बारे में बताया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रचार रथए जनजागरूकता कार्यक्रम और किसान चौपालों के माध्यम से सहकार से समृद्धि के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

एक नजर में

अंजना शिवहरे लॉयन्स क्लब एलीट की अध्यक्ष बनीं

मुरैना, 29 जून। लॉयन्स क्लब मुरैना एलीट द्वारा सत्र के समापन अवसर पर

अंतिम पार्टी एवं सम्मान समारोह का आयोजन इम्पीरियल गोल्फ रिजॉर्ट ग्वालियर में उत्साह के साथ किया गया। क्लब अध्यक्ष लॉयन भारती मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान आगामी सत्र 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। इसमें अंजना शिवहरे को अध्यक्ष, अनुराधा गर्ग को सचिव एवं अंशुल गोलश को कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक सुरभि मित्तल एवं नैन्सी मंगल ने किया। इस अवसर पर क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट इंजी. नीता बांदिल, पास्ट रीजन चेयरपर्सन डॉ. रितु राठी सहित क्लब की पदाधिकारी एवं सदस्याएं उपस्थित रहीं। समारोह में सदस्यों ने बीते सत्र की उपलब्धियों को साझा किया और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं।

गेंहू उपार्जन : 10 पंजीयक व ऑपरेटर्स पर एफआईआर दर्ज

मुरैना। गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन में अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर पंजीयन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर 10 पंजीयक एवं ऑपरेटरों के खिलाफ बानमोर, मुरैना और जौरा थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किए गए पंजीयन में अनियमितता सामने आई थी। इसके बाद समिति प्रबंधकों और ऑपरेटरों पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर जांगिड़ ने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन सत्यापन में लापरवाही पर संबंधित तहसीलदारों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। वहीं 15 पटवारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

इलेक्ट्रिक मथनी से छांछ बना रही महिला को करंट लगा, मौत

मुरैना। माताबसैया थाना क्षेत्र के काजीबसई गांव में सोमवार को इलेक्ट्रिक

मथनी से करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार काजीबसई गांव निवासी गुड्डीबाई 44 पत्नी ग्याप्रसाद बघेल सोमवार की सुबह अपने घर में इलेक्ट्रिक मथनी से दही को मथकर छांछ बनाने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक मथनी से निकले करंट से उसे जोरदार झटका लगा और वह अचेत हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचें। यहां चिकित्सकों ने परीक्षण करने के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

एसपी-डीएफओ ने किया चंबल नदी के घाटों का निरीक्षण

मुरैना। जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा एवं वन मंडल अधिकारी हरिश्चंद्र बघेल ने थाना देवगढ़ एवं सरायछौला क्षेत्र के चंबल नदी घाटों का संयुक्त भ्रमण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और चंबल घाटों पर आने-जाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने घाटों पर मौजूद अमले को अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं रखने की हिदायत दी। ग्रामीणों से भी अपील की गई कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन या भंडारण की कोई सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को जानकारी दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। एसपी एवं वन मंडल अधिकारी ने अधिकारियों को अवैध रेत भंडारण पर संयुक्त कार्रवाई, संवेदनशील घाटों की नियमित चेकिंग और रेत कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफवैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

नवभारत न्यूज
मुरैना, 29 जून। आरटीओ विक्रमजीत कंग के निर्देशन में परिवहन उड़नदस्ते ने जौरा क्षेत्र में आकस्मिक चैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट लगाए सड़कों पर फर्राटे भर रहे आधा दर्जन से अधिक ट्रेक्टर-ट्रॉली टीम ने जब्त किए।

परिवहन निरीक्षक मीनाक्षी गोखले सोमवार को टीम के साथ एमएस रोड पर थाने के पास पहुंचीं और चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली को

थाने में रखवाया गया।

जौरा क्षेत्र में आरटीओ की यह

परिवहन उड़नदस्ते की कार्रवाई, अब तक 204 वाहनों पर शिकंजा

तीन दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले शनिवार को भी आधा दर्जन से अधिक बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए थे। जिलेभर में अभियान के तहत बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर, लोडिंग सहित अब तक 204 वाहनों के खिलाफकार्रवाई की जा चुकी है।

7 जगह पकड़ी विद्युत चोरी, 44 बकायादारों के काटे कनेक्शन

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 29 जून। विद्युत चोरी रोकने, बकाया बिलों की वसूली एवं आकस्मिक चेकिंग को लेकर विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जौरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सात स्थानों पर विद्युत चोरी पकड़ी गई और संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ चोरी के प्रकरण दर्ज किए गए।

डीई राजेश मौर्य, सहायक यंत्री पीएस यादव और कनिष्ठ यंत्री मुकेश कुमार मिश्रा की टीम ने आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। दो दिन तक चले अभियान में टीम ने पचबीघा, एमएस रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में जांच की। इस दौरान सात उपभोक्ताओं को बाईपास विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया।

लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले 44 बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बकायादारों से 5 लाख 14 हजार रुपए की वसूली भी की गई। कार्रवाई में मनोज जाटव, ब्रजमोहन धाकड़, रजत शर्मा, हरिओम कुशवाह, घनश्याम सिकरवार, ऋषिकेश कुशवाह, मनोज सविता, भारत मीणा, अमरकांत शर्मा सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

सीमेंट की दुकान में चोरी का खुलासा, 1 बदमाश गिरफ्तार

मुरैना, 29 जून। कैलारस पुलिस ने सीमेंट कारोबारी की दुकान में हुई

चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकदी 5 लाख रूपये बरामद किए है। जानकारी के अनुसार चोरी की घटना को लेकर कैलारस पुलिस ने अपराध क्रं. 40/2026 दर्ज किया था। पड़ताल के दौरान 28 जून को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बदमाश गोविन्द पुत्र रामसिंह को कड़िया सांसी गांव जिला राजगढ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने दो साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया जाना कुबूल किया। पुलिस ने उसके पास से चोरी किए गए नकदी 5 लाख रूपये बरामद किए है। कार्रवाई में निरीक्षक सतेन्द्र कुशवाह, एसआई मनोज यादव, आरक्षक विष्णु जाट, शाकिर खान, बृजेश आदि शामिल थे।

पिकअप वैन लूटकांड का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
मुरैना, 29 जून। फरियादी मुकेश पुत्र अशोक कुमार जोशी निवासी शर्मा कॉलोनी मनियां धौलपुर ने 18 जून को सरायछौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पिकअप वाहन क्रमांक 'आरजे11-जीबी-5328 चलाता है। 16 जून को मनिया क्षेत्र में तीन युवकों ने सामान गांव तक पहुंचाने के बहाने उसकी पिकअप में बैठकर रास्ते में वाहन रुकवाया और धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल और पिकअप लेकर फरार हो गए। पुलिस नें रामरूप गुर्जर निवासी रिठौराखुर्द एवं रामहेत सिंह गुर्जर निवासी रिठौराखुर्द को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पिकअप वैन, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में फरार एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। कार्यवाही में उनि केके सिंह थाना प्रभारी सरायछौला एवं उनि अभिषेक जादौन सायबर सैल प्रभारी, प्रआर. सुदेश, प्र.आर. हाकिम सिंह, आर. योगेन्द्र, आर. रामलक्ष्मण, आर. धर्मेन्द्र, आर. वैभव, आर. रामराज शामिल थे।

जल सेवा शिविर में पहुंचे डीईओ, रेल यात्रियों को पिलाया ठण्डा पानी

मुरैना, 29 जून। भारत स्काउट एवं गाइड मप्र जिला

संघ मुरैना द्वारा रेलवे स्टेशन पर संचालित निःशुल्क शीतल जल सेवा शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कमिश्नर स्काउट बीएस इंदोलिया पहुंचे। उन्होंने स्वयं यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर सेवा कार्य में सहभागिता की। शिविर सहायक संचालक डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्काउट-गाइड का मूल मंत्र सेवा है। इस अवसर पर रामनरेश डंडोतिया, डॉ. राकेश शर्मा ने डीईओ श्री इंदोलिया का पुष्पहार पहनाकर एवं साफी बांधकर स्वागत किया। डीईओ श्री इंदौलिया ने स्काउट-गाइड सेवार्थियों को सम्मानित कर उनके कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर कोकसिंह दद्दू, सोबरन शर्मा, राधेश्याम शर्मा, बनवारी शर्मा, सुभाष शर्मा फौजी, सुरेंद्र डंडोतिया, राकेश सिंघल, राधेश्याम मुखरैया, राम गुप्ता सहित अन्य सेवाभावी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सेफ क्लिक : हेल्थ सेंटर्स पर दी साइबर सुरक्षा की जानकारी

मुरैना/कैलारस, 29 जून। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक-2.0 अभियान के कैलारस एसडीओपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में चिन्नौनी पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

कैलारस एसडीओपी के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान

इसी क्रम में अभियान के तहत एसडीओपी उमेश मिश्रा एवं थाना प्रभारी चिन्नौनी ऋषिकेश शर्मा ने क्षेत्र के निजी क्लीनिकों और अस्पतालों में पहुंचकर डॉक्टर्स, कर्मचारियों एवं नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, सोशल मीडिया पर लापरवाही बरतने और डिजिटल लेनदेन में सावधानी रखने को लेकर जागरूक किया। थाना प्रभारी ऋषिकेश शर्मा ने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

आम सूचना

श्री भगवानदास एवं श्री रामदास पुत्रगण श्री फुंदीलाल श्रीवास के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित मौहल्ला हनुमान नगर, ग्राम भिण्ड, तहसील एवं जिला भिण्ड में है जो भूमि सर्वे क्र.3367 ग्राम भिण्ड का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड श्री ओमनारायण, पश्चिम में-गली 15 फुट चौड़ी, उत्तर में-भूखण्ड श्री माताप्रसाद एवं दक्षिण में भूखण्ड दीगर है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री राकेश कुमार (नाबालिग पुत्र श्री माताप्रसाद सरपरस्त पिता श्री माताप्रसाद पुत्र श्री रामनारायण द्वारा श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री रामप्रकाश श्रीवास को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2725 दिनांक 09.12.1991 से विक्रय की गई। श्रीमती मीराबाई द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती रेखा पत्नी श्री भगवानदास श्रीवास एवं श्री रामदास पुत्र श्री फुंदीलाल श्रीवास को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.848 दिनांक 13.06.2003 से विक्रय की गई। श्रीमती रेखा का स्वर्गवास दिनांक 09.10.2024 को हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री भगवानदास पुत्र श्री फुंदीलाल श्रीवास उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं श्री भगवानदास एवं श्री रामदास द्वारा नगर पालिका भिण्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। उक्त सम्पति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 09.12.1991 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्री भगवानदास एवं श्री रामदास द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 09.12.1991 की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें एवं जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, निकाय अथवा श्रीमती रेखा के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

In The Court Of I Additional District and Session Judge, District Court, Morena
Presiding Officer : अनुज कुमार
आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु
(MJC/0000054/2026)
राधिका.....वादी
Vs
सर्व साधारण.....प्रतिवादी
Process id-/2026
पेशी दिनांक :- 10/08/2026
प्रेषिती-
(1) सर्व साधारण पता-तहसील व जिला मुरैना एमपी
यह कि प्रार्थी श्रीमती राधिका ने आपके विरुद्ध आवेदन धारा-8 गार्जियन एक्ट के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।
यह आज तारीख 25 June 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
न्यायाधीश
(अनुज कुमार)
प्रथम जिला न्यायाधीश
जिला मुरैना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें :-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

आम सूचना

श्री रामाख्यार सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम टिकटौली गुजर, प.ह.नं.116, रा.नि.मं.07 सुमावली जौरा, तहसील जौरा व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र. 2357, 2358, 2359, 2145, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2155, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166, 2168, 2169, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2283, 2302, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2337, 2338, 2339, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2364, 2365, 2367, 2368, 2369, 2370, 2457, 2476, 2477, 2478, 2522, 2523, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2593, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 5605, 2606, 2607, 2608, 2609, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3338 ग्राम टिकटौली गुजर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 2576 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड गोदीपाल, पश्चिम में-भवन लज्जाराम, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में भूमि महावीर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री चंदन सिंह पुत्र श्री अंगद सिंह एव अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री चंदन सिंह का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री गरदीपाल, श्री सूर्यभान, श्री जनक सिंह, श्री लज्जाराम, श्री रामाख्यार, श्री रामवीर, श्री रिंकू सिंह पुत्रगण श्री चंदन सिंह, बसंती, रामसनेही, गीता एवं गिरजेश पुत्रियां श्री चंदन सिंह एवं अन्य उनकी सम्पति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती रामसनेही द्वारा अपने भाग की सम्पति के संबंध में श्री रामाख्यार सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह के हित में ई-रजिस्टर्ड दानपत्र विलेख क्र. एमपी 27 आईजीआर 17892026ए100751170 दिनांक 19.06.2026 को सम्पादित किया गया। श्री रामाख्यार सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री चंदन सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों को एवं सरोनी को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710